

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प.2(3)रामले/स्था/एसीपी/2018/

दिनांक: /11/2019

—: आदेश संख्या-117/2019 —

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.15 (1) एफ.डी.रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं तहसील राजस्व लेखाकार जिन्होंने तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को कार्यग्रहण किया था जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 07 में उल्लेखित दिनांक से तहसील राजस्व लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) सातवें वेतन आयोग अनुसार कॉलम संख्या 8 में अंकित पे लेवल में एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम कार्मिक मय पिता का नाम | पदनाम | वर्तमान पदस्थापन | त0रा0ले0 पद पर नियमित नियुक्ति | 18 वर्ष पूर्ण करने की तिथि | ए.सी.पी. स्वीकृत करने की तिथि | सातवें वेतन आयोग में पे लेवल |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) लेवल-12 | | | | | | | |
| 2 | श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी | सहा. राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-11 | कलेक्ट्रेट, सवाईमाधोपुर जिला प्रतिनियुक्ति कार्यालय भुगतान एवं लेखाधिकारी, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली | 28/3/2001 | 27/3/2019 | 28/03/2019 | एल-12 |
| 3 | श्री नरेन्द्र कुमार सोनी | तहसील राजस्व लेखाकार | कलेक्ट्रेट, बारां | 04/4/2001 | 03/4/2019 | 04/04/2019 | एल-12 |

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 04.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 07 में से जितने वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम थे उतने गत दो वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की प्राप्ति के आधार पर इस शर्त पर ए.सी.पी.स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण, वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 सहपठित अनुसूची VI के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. इनके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा फौजदारी जाँच का प्रकरण लम्बित/प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
4. पिछले वर्षों में निरन्तर वार्षिक वेतनवृद्धियाँ मिलती रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कार्मिक की सेवापुरतिका में की जावे।

चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने से कार्मिक की वरिष्ठता एवं केडर स्ट्रेन्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

sd

(विनीता श्रीवास्ताव)

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक: 14/11/2019

क्रमांक: सम/ 2318-29

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सहायक- निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. अति.निबंधक (प्रशासन)/गोपनीय/वि.जांच राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
4. जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर / बारां एवं भुगतान एवं लेखाधिकारी, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आय) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) राजस्व मण्डल अजमेर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-11 भुगतान एवं लेखाधिकारी, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली / श्री नरेन्द्र कुमार सोनी तहसील राजस्व जिला कलेक्टर बारां
8. आदेश/निजी पंजिका श्री त्रिपाठी/श्री सोनी

अतिरिक्त निबंधक(वित्त एवं लेखा)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर